भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4094
जिसका उत्तर 17 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।
26 आषाढ़, 1941 (शक)

सॉफ्टवेयर उत्पाद संबंधी राष्ट्रीय नीति

4094. श्री बी. वाई राघवेन्द्र:
श्री डी. के. सुरेश:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सॉफ्टवेयर उत्पाद, 2019 संबंधी राष्ट्रीय नीति को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताओं और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस नीति के अंतर्गत आईटी उद्योग के विकास करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : जी, हाँ। सरकार ने दिनांक 28 फरवरी, 2019 को राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति-2019 को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य सुदृढ़ भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करना है जिससे वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद बाजार में भारत की हिस्सेदारी में दस गुना वृद्धि होगी और इस प्रकार वर्ष 2025 तक 3.5 मिलियन लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

(ग) और (घ) : राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति के अंतर्गत विभिन्न योजना और कार्यक्रम के जरिए, सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के वर्ष 2025 तक 60 से 70 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।

******